मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिली विधायक ममता देवी, सहायक प्राध्यापकों के बैकलॉग पदों में सिर्फ 2 भाषाओं की जा रही नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग

राज्य के विकास के लिए सभी भाषाओं में हो बहाली :ममता

संवाददाता

रांची/रामगढ़। विधायक ममता देवी ने जेपीएससी द्वारा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के सहायक प्राध्यापकों के बैकलॉग पदों में सिर्फ दो भाषाओं में की जा रही नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सभी नौ भाषाओं में एक साथ बहाली लेने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा रांची विश्वविद्यालय रांची एवं राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के सहायक प्राध्यापकों बैकलॉग पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग किया है। मुख्यमंत्री को सौंपें ज्ञापन में विधायक ने लिखा है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदनपूर्वक कहना है कि झारखण्ड राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों के विरूद्व भेजे गये अधियाचना के आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की गई है । विज्ञापन संख्या -05 / 2018 से बैकलॉग पदों एवं विज्ञापन संख्या -04 / 2018 से नियमित नियुक्ति के लिए आवेदन भी भरवायें गये हैं । इन नियुक्ति प्रक्रिया में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के केवल नागपुरी एवं

कुरमाली विषय में सहायक प्राध्यापकों के बैकलॉग पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है । इस संबंध में आपका ध्यान महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर आकृष्ट करवाना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता हैं। विधायक ने मुख्यमंत्री को बताया है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग,रांची विश्वविद्यालय , राँची की स्थापना 1980 में की गई थी। जिसमें प्रोफेसर के 01 पद, रीडर के 02 पद एवं सहायक प्रोफेसर के 04 पद सृजित किये गये थे। 1986 से 1988 तक झारखण्ड के पाँच जनजातीय एवं 4 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए चरणबद्ध रूप से पद सृजित किये गये। परन्तु उन सृजित पदों पर भी विधिवत नियुक्ति नहीं की गई। संयुक्त बिहार के समय सन- 1905 एवं झारखण्ड अलग राज्य बनने के बाद 2008 में भी आयोग के माध्यम से इन जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के विषयों में विधिवत नियुक्ति नहीं हुई। जबकि अन्य विषयों में सामान्य तरीके से नियुक्ति की गई।यह इन भाषाओं के साथ सौतेला व्यवहार है।विदित हो कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के सभी विषयों का पठन - पाठन एक साथ आरंभ हुआ तथा साथ ही पद भी सृजित किये गए।ऐसे में अन्य भाषाओं को छोड़कर सिर्फ नागपुरी एवं कुरमाली भाषा में बैकलॉग पदों की नियुक्ति (विज्ञापन सं0- 05/18 के माध्यम से) करना उचित नहीं है। जब आज तक इन विषयों में कभी विधिवत बहाली हुई ही नहीं, तो सिर्फ दो भाषाओं के रिक्त पदों को बैकलॉग पद कैसे माना जा सकता है ?

अतः आपसे आग्रह है कि झारखण्डी भाषाओं के विकास हेतु मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या -5 / पृ 0 2-03 / 2007 उ 0 शि 0 38 / राँची , दिनांक- 15.01.2011 के द्वारा स्वीकृत 42 पदों एवं उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग , झारखण्ड सरकार के पत्रांक -4 / प 0 1-03 / 2018 , 559 , दिनांक- 08.03.2019 के माध्यम से सृजित 29 पदों को एक साथ सम्मिलित कर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाए। इस बात की जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह समाजसेवी सुधीर मंगलेश ने दिया।

विधायक जेपी पटेल अध्यक्ष और सचिव बने तालेश्वर महतो

कुजू। मांडू विधानसभा विधायक जयप्रकाश भाई पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को करमा उच्च विद्यालय करमा की प्रबंध समिति की बैठक विद्यालय प्रांगण में हुई। जबकि संचालन प्रधानाध्यापक शंकर प्रसाद गुप्ता ने की। बैठक के दौरान सर्वप्रथम विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया। जिसमें शिक्षाविद् चंद्रेश्वर महतो, अध्यक्ष विधायक जेपी पटेल, सचिव तालेश्वर महतो का मनोनयन किया गया। तत्पश्चात स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से मिले 6 लाख 43 हजार 846 रुपए की राशि में 1 लाख 61 हजार 846 रुपए विद्यालय विकास कार्य में लगाने पर प्रस्ताव पारित की गई।

सार-संक्षेप

ब्लीचिंग पाउडर का छिडकाव

दुलमी। दुलमी प्रखंड के कुल्ही पंचायत के कारो बहम्नी ब्यांग गांव में में स्थानीय विधायक ममता देवी के सौजन्य से दर्जनों कुआं मे ब्लीचिंग पाउडर का छिडकाव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह समाजसेवी सुधीर मंगलेश के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान सुधीर मंगलेश ने बताया कि बारिश शुरू हो गया ऐसे मे मौसमी बीमारियों के फैलने कि संभावना बढ जाती हैं जगह जल जमाव कीचड और गंदगी के कारण कई जानलेवा बीमारियां जैसे-मलेरिया, हैजा, डायरिया, घातक बीमारी फैल जाती हैं। ऐसे घातक बीमारियों से बचने के लिए गांव की नालियों व दुसरे गंदगी जगहों पर ब्लीचिंग पाँउडर का छिडकाव किया गया। साथ ही आसपास मे साफ सफाई पर ध्यान देने व गरम पानी पिये। मौके पर मुकेश महतो, सुनिल भोक्ता, तबारक अंसारी, अजय भोक्ता, करमू महतो, रुकेश कुमार, उतम कुमार आदि उपस्थित थे।

ग्रामीणों ने सड़क पर धान रोप कर जताया विरोध

गोला। आजसू नेता सह समाजसेवी रुपेश महथा के नेतृत्व में कुम्हरदगा गाँव में धीमी गति से हो रहे सड़क निर्माण कार्य पर ग्रामीणों के साथ धान रोपकर विरोध किया। रूपेश महथा ने बताया की सड़क में सैडकों गढ़े हो गया है जिससे बराबर दुर्घटना होते रहती है। बताया की प्रतिदिन हजारों की संख्या में किसान, मजदूर, छात्र इसी सड़क से आवागमन करते हैं। सड़क निर्माण कार्य में उचित गुणवत्ता का भी ध्यान नही रखा जा रहा है जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। आजसू नेता रूपेश महथा ने बताया की यह सड़क डभातु से कुम्हरदगा, सरलाकलां, संग्रामपुर, टांडील, बेटूलकला, चोकाद होते हुए झींझरीटाड तक लगभग 18.2 किलोमीटर लम्बी पक्की सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से मेसर्स आरएन भगत एंड कम्पनी से करोड़ो रुपए के लागत से निर्माण कार्य किया जा रहा है ।

गंदा फेकने से मना करने पर बड़ी मां की पीटकर हत्या कर देने का आरोप

सात लोगों पर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज

संवाददाता

गोला। थाना क्षेत्र के पुरबडीह बरवाटांड में बुधवार की सुबह नाली में गंदा फेकने से मना करने पर सात लोगों ने मिलकर अपनी बडी मां सुलगनी देवी पति गोपी महतो उम्र (52 वर्ष) की बेरहमी से पीट पीटकर हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।बताया कि महिला बचाने के लिए चिल्लाती रही लेकिन बेरहम लोग उसे तबतक पीटते रहे जबतक महिला बेहोश नही हो गई। आसपास के लोग हल्ला सुनकर वहां पहुँचे तो देखा कि महिला गंम्भीर अवस्था में जमीन पर पड़ी है आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन शव को लेकर थाने पहुंचे। फिर मृतक के बेटे मुकेश महतो ने पुलिस को आवेदन दिया। जिसमें सात लोगों निशा देवी पति कृष्णा कुमार महतो, कृष्णा कुमार महतो पिता सुधीर महतो, संजय कुमार पिता सुधीर महतो, सुधीर महतो पिता स्वर्गीय भीम महतो, दिलेश्वरी देवी पति सुधीर महतो, गोविंद महतो पिता स्वर्गीय भीम महतो, गीता देवी पति गोविन्द महतो को नामजद करते हुए हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार बताए जाते हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मुकेश की मां सुलगनी देवी घटना के पूर्व घर के बाहर खटिया में सो रही थी। इसी दौरान निशा देवी अपने हाथ में पुआल में बच्चे का गंदा लपेटकर उसी के दरवाजा के बगल में फेकने आई। यह देखकर उसने गंदा फेंकने से मना किया। जिसपर बात तूतू मैं से लेकर हत्या तक पहुंच गई।बताया गया है कि इसके पीछे पूर्व से चला आ रहा जमीन विवाद भी घटना का कारण बताया जाता है। दोनों परिवार के बीच 15 से 20 डिस्मिल जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा था। जो आज हत्या में तब्दिल हो गया।

घटना के संबंध में पुलिस मुख्यालय डीएसपी प्रकाश सोए ने बताया कि मृतक के बेटे द्वारा सात लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया गया है।वहीं दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि मृतक हृदय रोग से ग्रसित थी मारपीट का हल्ला सुनने से उस समय हृदयघात हो गया जिसके कारण उसकी मौत हो गई मामले का उद्भेदन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

महाप्रबंधक कार्यालय अरगड्डा के समक्ष विप्रबे संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन और घेराव

28 से अनिश्चितकालीन रेलिगढा कांटा होगा जामः पुरुषोत्तम पांडेय

संवाददाता

गिद्दी। स्थानीय विस्थापित प्रभावित बेरोजगार संघर्ष समिति द्वारा अपनी मांगो को लेकर बुधवार को महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन और घेराव किया गया।कार्यक्रम के दौरान सभी कार्यकर्ता समाजिक दूरी का पालन करते हुए मास्क पहनकर पहुंचे थें। इसका आह्वान किया गया । बैठक में बड़ी संख्या में मजदूर कार्यकर्ता उपस्थित हुए। आंदोलनकारियो द्वारा प्रबंधन के खिलाफ हाथ में तख्तिया लेकर जोरदार नारेबाजी की गई। आंदोलनकारियो को संबोधित करते हुए पुरुषोत्तम पाण्डेय ने कहा की किसी भी सूरत में संघर्ष समिति का आंदोलन अपने नियत स्थान तक पहुंचेगा और सफलता प्राप्त करेगा। किसी भी दबाव में आंदोलन न रुकने वाला है ना झुकने वाला है । हम अपने मांगों के लिए पूरा कृत संकल्प है। मांगो में रेलिगढा लोकल सेल में

मजदूरों के नाम पर 12600 रुपया की अवैध वसूली बंद हो । मजदूरों को प्रति गाड़ी लोडिंग 6000 रुपया दी जाए। पूर्व से चल रहे 248 दंगल रेलिगढ़ा में है । वह 30 बर्ष पुराना है । वह आज पूरी तरह से वजूद में नहीं है । इसलिए उसका भौतिक सत्यापन कर पुनर्निर्माण किया जाए। इन्ही मांगो को लेकर पूरी ताकत से बुधवार को महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव किया गया। तत्पश्चात 24, 25 और 26 जुलाई को रेलिगढा परियोजना पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष अनशन का कार्यक्रम चलेगा। और 28 तारीख से रेलिगढा कांटा पर सशरीर लेट कर सभी बेरोजगार नौजवान द्वारा विरोध स्वरूप काँटा को जाम किया जाएगा।

गमछे से झूल कर युवक ने दी जान

कुजू। ओपी क्षेत्र के तोपा एलसीएच क्वार्टर में एस्बेस्टस सीट में लगे लकड़ी के सहारे गमछे से झुलकर एक युवक ने अपनी इहलीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार, करमवीर गंझू (22 वर्ष) पिता बासुदेव गंझू दोपहर में सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। दोपहर में खाने के लिए जब परिजन उसको बुलाने गये तो वहीं दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा नहीं खोलने पर परिजनों ने खिड़की से देखा कि करमवीर गमछा के सहारे एस्बेस्टस सीट के लकड़ी में गमछा के सहारे लटका हुआ है। जिसके बाद पुलिस को सूचना दिया। सूचना पाकर पहुंची कुजू पुलिस क्वार्टर के कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को उतारा।

18 अगस्त की एक दिवसीय हड़ताल का किया समर्थन

भुरकुंडा । पटेल नगर स्थित कोल फिल्ड मजदूर यूनियन कार्यालय में बुधवार को बरका-सयाल क्षेत्रीय कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संजय यादव व संचालन अशोक गुप्ता ने किया। बैठक में मुख्य रूप से यूनियन के केंद्रीय सचिव सह सीसीएल सेफ्टी बोर्ड सदस्य उदय कुमार सिंह उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए उदय कुमार सिंह ने कहा कि सरकार के मजदूर विरोधी नीति और कोल इंडिया के कॉमर्शियल नीजिकरण के खिलाफ आगामी 18 अगस्त को एक दिवसीय हड़ताल में जाने की घोषणा स्वागत योग्य है जिसे कोफिमयू समर्थन करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि 18 अगस्त की हड़ताल में हमारी यूनियन बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेगी। साथ ही सदस्यता अभियान पर विचार विमर्श किया गया। मौके पर रामाकांत दुबे, कंचन कुमार सिंह, विनोद साव, पप्पू सिंह, सुधिर सिंह, गोविंद मांझी, विजय साव, मनोज कुमार, बेलो शर्मा, मंजीत रंजन, परमानंद झा, दिलीप देवधरिया, बैजनाथ केवठ, आशीत कुमार साहु सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

हर व्यक्ति को पौधारोपण के लिए आगे आना होगा

बरकाकाना। डीएवी पब्लिक स्कूल बरकाकाना एनसीसी बटालियन के कैडेटों वृक्षारोपण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। एनसीसी के कैडेटों ने देश की रक्षा के लिए एकता और अनुशासन के साथ-साथ ट्रेनिंग लेने वाले कैडेट्स द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी भूमिका निभाते हुए 22 जुलाई को वृक्षारोपण किया गया। हजारीबाग क्षेत्र डीएवी की रीजनल ऑफिसर सह प्राचार्य डॉ उर्मिला सिह और एनसीसी ऑफिसर संतोष कुमार गुप्ता एव विद्यालय के एनसीसी कैडेटों ने विद्यालय परिसर में तथा अपने घर के आस-पास 50 छायादार एवं फलदार पौधे लगाए गए। इस मौके पर डीएवी क्षेत्र के रीजनल ऑफिसर उर्मिला सिंह ने कहा की कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर वृक्षारोपण किया गया । प्रत्येक व्यक्ति को पौधारोपण के लिए आगे आना होगा। तभी हम व हमारा राज्य व देश को पर्यावरण दूषित होने से बचाया जा सकता है।

मांडू विधायक प्रतिनिधि बने संजय शाह, सौरभ अग्रवाल व विवेक गुप्ता ने जताया आभार, कहा

विधायक जेपी पटेल ने हमें जो कार्य सौंपा है, उसे ईमानदारी पूर्वक करूंगा

संवाददाता

कुजू। मांडू विधानसभा भाजपा विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने मांडू प्रखंड अंतर्गत तीन क्षेत्राधीन कार्यकर्ताओं को विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इस संबंध में विधायक जेपी पटेल द्वारा रामगढ़ जिला उपायुक्त को इनके मनोनयन पत्र प्रेषित किया है। पत्र में उन्होंने सेवटा रांचीरोड निवासी संजय शाह को उद्योग, पुराना बाजारटांड़ कुजू निवासी सौरभ कुमार अग्रवाल को शिक्षा तथा मांडू चट्टी निवासी विवेक कुमार गुप्ता को भू-राजस्व एवं पशुपालन विभाग का प्रभार सौंपा है।

जयप्रकाश भाई पटेल ने उपायुक्त को पत्र के माध्यम से कहा कि हमारी अनुपस्थिति में मनोनित सभी विधायक प्रतिनिधि संबंधित विभाग के क्रियाकलाप की निगरानी करेंगे। विधायक प्रतिनिधियों के मनोनयन से प्रखंड के भाजपा कार्यकताओं में उत्साह और उमंग जगा है। अपने मनोनयन होने पर विधायक प्रतिनिधियों ने कहा कि विधायक जयप्रकाश भाई पटेल द्वारा जो हमें सम्मानपूर्वक कार्य सौंपा गया है, उसे निष्ठापूर्वक व ईमानदारी से कार्य करने का प्रयास किया जायेगा। वहीं, विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने कार्यकताओं पर भरोसा जताते हुए कहा कि इनकी निष्ठा व ईमानदारी से क्षेत्र के विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जायेगा।

JHARKHAND ROAD PROJECTS IMPLEMENTATION COMPANY LIMITED

Registered Office: 443/A, Road No. 5, Ashok Nagar, Ranchi - 834002; **Website:**http://www.itnlindia.com/JRPICL-SPV.aspx; **CIN:** U45200JH2009PLC013693

Statement of Audited Financial Results for the year ended March 31, 2020

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Year Ended March 31, 2020	Year Ended March 31, 2019
1	Total Income from Operations	30,526	29,140
2	Net Profit / (Loss) for the year (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	5,375	(51,347)
3	Net Profit / (Loss) for the year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5,375	(51,347)
4	Net Profit / (Loss) for the year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5,375	(51,347)
5	Total Comprehensive Income for the year (Comprising Profit / (Loss) for the year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	5,375	(51,347)
6	Paid-up equity share capital (face value - ₹10 per share)	25,950	25,950
7	Reserves (excluding revaluation Reserve)	(42,023)	(47,399)
8	Net worth	(16,074)	(21,449)
9	Paid-up Debt Capital / Outstanding Debt	2,00,169	2,31,802
10	Outstanding Redeemable Preference Shares (Refer note 18)	-	-
11	Debt Equity Ratio (number of times)	(12.45)	(10.81)
12	Earnings per share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations)		
	(a) Basic	2.07	(19.79)
	(b) Diluted	2.07	(19.79)
13	Capital Redemption Reserve (Refer note 18)	-	-
14	Debenture Redemption Reserve (Refer note 19)	5,375	-
15	Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (number of times)	0.79	0.80
16	Interest Service Coverage Ratio (ISCR) (number of times)	1.40	1.11

Notes

1 The above is an extract of the detailed format of annual financial results filed with Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Lisitng and other disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of the annual financials results are available on the websites of the National Stock Exchange (NSE) - www.nseindia.com and the Company's - www.itnlindia.com/JRPICL-SPV.aspx

2 For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures can be accessed on the (www.nseindia.com) and on the Company's website - www.itnlindia.com/JRPICL-SPV.aspx

3 The above results for year ended March 31, 2020, are in compliance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified by the Ministry of Corporate Affairs, read with SEBI Circular No. CIR/CFD/FAC/69/2016 dated August 10, 2016.

4 All secured borrowings obtained by the Company are covered under a pari-passu first charge in favour of the Debenture Trustee on the project assets and all tangible and intangible assets, including but not limited to rights over the project site, project documents, financial assets such as receivables, cash, investments, insurance proceeds, etc.

5 The National Company Law Tribunal ("NCLT"), vide order dated January 1, 2019, had allowed a petition filed by the Union of India, for re-opening of the books of accounts and re-casting the financial statements under the provisions of Section 130 of the Companies Act, 2013 for the financial years from 2012-13 to 2017-18, of Infrastructure Leasing & Financial Services Limited ("IL&FS"), the ultimate holding company of JRPICL and its subsidiaries namely IL&FS Financial Services Limited ("IFIN") and IL&FS Transportation Network Limited ("ITNL"), the holding Company. The said exercise is going on and not yet concluded. The Company has been conducting various business transactions with these entities. Pending completion of the exercise, the Management is not able to determine any impact arising from this exercise on these financial statements of the Company.

6 The Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India, has vide its letter dated October 1, 2018, initiated investigation by Serious Fraud Investigation Office (SFIO) against IL&FS and its group companies under Section 212 (1) of the Companies Act, 2013. As a part of its investigation, SFIO has been seeking information from the Company on an ongoing basis. The investigation is in progress and the Company is fully cooperating with the investigating agencies. The implications if any, arising from the aforesaid developments would be known only after the aforesaid matters are concluded and hence are not determinable at this stage.

7 The New Board of IL&FS in January 2019, initiated a forensic examination for the period from April 2013 to September 2018, in relation to the certain Companies of the Group, and has appointed an independent third party for performing the forensic audit and to report the findings. The Company is not in the list of Companies identified by the New Board for forensic audit and hence no such specific audit of the affairs of the Company has been conducted. The independent third party has submitted their interim report in relation to the audit of ITNL (the holding Company) and its project related activities and the observations contained therein related primarily to the operations of ITNL . Given that the report is interim in nature and pending full completion of the examination, specific adjustment if any related to the Company arising from the said forensic audit of ITNL, has not been determined. Hence no adjustments have been recorded in these financial statements for any consequential effects / matters that may arise in this regard.

8 Pursuant to the "Third Progress Report – Proposed Resolution Framework for the IL&FS Group" dated 17 December, 2018, and the "Addendum to the Third Progress Report – Proposed Resolution Framework for IL&FS Group" dated January 15, 2019 ("Resolution Framework Report"), submitted by the Company to the Ministry of Corporate Affairs, Government of India which, in turn, was filed with the Hon'ble National Company Law Appellate Tribunal ("NCLAT"), the creditors of the Company were invited (via advertisement(s) dated May 22, 2019) to submit their claims as at October 15, 2018, with proof, on or before 5 June, 2019 (later extended till June 18, 2020)) to a Claims Management Advisor ("CMA") appointed by the IL&FS Group. The amounts claimed by the financial and operational creditors are assessed for admission by the CMA.

The CMA, vide their various communications to the management of the Company, have submitted their report on the status of the claims received and its admission status. The report is subject to updation based on additional information / clarification that may be received from the creditors in due course.

"Management of the Company has reviewed the claims made by third parties with the CMA, and reconciled them with the books of accounts. Such claims have either been provided for, or shown as contingent liabilities if there is a possible obligation on the company. No action is taken if the possibility/probability of outflow is remote.

9 National Company Law Appellate Tribunal ("NCLAT") had passed an order on October 15, 2018 ("Interim Order") in Company Appeal (AT) 346 of 2018, imposing moratorium on the creditors of IL&FS and its 348 group companies, which includes the Company. Further based on a 12-month cash flow solvency test conducted by the resoulation consultants appointed by the Board of Directors of IL&FS, the NCLAT vide its orders dated February 11, 2019, classified the Company under the "Amber Category", which meant that the Company was able to meet only financial obligation towards Senior Lenders and operational creditors. In view of this classification and the moratorium order, the Company had stopped servicing financial obligations towards all its financial creditors .

During the year, based on the negotiations with the lenders, Company restructured its debt by modifying the repayment schedule and interest rates and entered into agreements with all the lenders for the same. Pursuant to this, NCLAT vide its order dated September 19, 2019 classified the Company under the "Green Category", which means that the Company is able to meet financial obligation towards all lenders and operational creditors. Since then the Company has been servicing all this obligations as per the schedule and there are no overdue payments as on March 31, 2020.

10 As per the secretarial audit report of the company, the Company is not in compliance with the Companies Act 2013, as applicable to the Company. These non compliances pertain to appointment of Directors, filings with Regulators, appointment of Key Management personnel and such other regulations. These do not have an impact on financial reporting and/or compliance with accounting standards. Management is in the process of evaluating the financial and other consequences arising from such non-compliance and of making a comprehensive assessment of other non-compliances, to determine the impact/consequences, including penal consequences and operational impact, of such non-compliances on the Company.

11 The Company has profit of ₹ 5,375 Lakh during the year and has a negative net worth of ₹ 16,074 Lakh as at the year end. During the year, the debt of the Company was restructured to convert the same into "Green" entity and pursuant to same, the Company has been servicing all its obligations on due dates.

The divestment program launched by IL&FS Board (New Board) in FY 19 for divestment of entire stake held by the ultimate holding Company i.e. IL&FS and holding Company i.e. ITNL, could not go through as the bids received during the year from the prospective investor were below the average fair market valuation determined by 2 independent valuers appointed by the Board. The New Board after careful evaluation of alternate resolution options, has given its in-principle approval to establish an infrastructure investment trust ("InvIT") under the SEBI InvIT regulations and proposes to transfer the stake held by ITNL along with loans and receivables from the Company to the said InvIT.

In furtherance of the same, ITNL has incorporated a wholly owned subsidiary to act as the Sponsor to the proposed InvIT; and made an application for registration of the InvIT to SEBI, which is under consideration. Pursuant to the aforesaid, management believes that use of the going concern assumption for preparation of these financial results is appropriate as the business operations of the Company will continue in foreseeable future.

12 As part of the divestment process, during previous year the IL&FS Board appointed two independent valuers to determine the Fair Market Value (FMV) of the assets of the Company as on October 01, 2018. The valuers had used the discounted cash flow methodology and provided the FMV. Shortfall in such FMV as compared to the carrying cost of the assets in the books of the Company as on October 1, 2018 was recognized as impairment in the financial statements of the Company in the previous financial year.

13 "The Company has acknowledge Contingent Liabilities of ₹ 61,078 Lakh which includes claims by Contractors, who had worked on the 3 projects, of the Company, have raised claims amounting to ₹ 60,956 Lakh against the Company. The Company has raised Counter claims against these Contractors with respect to the said 3 Projects amounting to ₹ 39,418 Lakh. The Company has taken legal opinion on the tenability of claims raised by the Contractors and based upon the legal opinion the Company has not acknowledged the Claims in the books of accounts but has acknowledged such claims as "Contingent Liabilities". The matter of Claims against the Company and Counter Claims by the Company is under arbitration.

14 The Company is engaged in the business of setting up of infrastructure facility by way of development of infrastructure projects, operation and maintenance of infrastructural facilities. As such, all activities undertaken by the Company are incidental to the main business. There are no separate reportable business segments as per IND AS 108 on "Operating Segment".

15 In view of impairment of Receivable under service concession arrangements carried out during previous year based on thrid party independent valuation as a part of divestment process, the effective interest rate (EIR) of the project has been re-adjusted for the annuity receivable during the balance concession period considering the Annuity amounts as per SCA . Accordingly, Company has recognized incremental Finance Income at such revised EIR.

16 The above audited results were approved by the Audit Committee and taken on record at the Board meeting held on July 21, 2020.

17 No complaints were recorded during the year and no complaint is pending as on March 31, 2020.

18 The Company doesn't have any outstanding Redeemable Preference Shares, accordingly there is no requirment to record Capital Redemption Reserve.

19 In terms of Section 71 of the Companies Act, 2013 read with the Rule 7 (B) of The Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, is required to create Debenture Redemption Reserve to the extent of 10% of the value of outstanding privately placed Debentures until such debentures are redeemed, to which adequate amounts shall be credited from out of its profits every year. For the year ended March 31, 2020, entire amount at profit for the year has transferred to Debenture Redemption Reserve.

20 "The formulas used for calculation of Debt Service Coverage Ratio, Interest Service Coverage Ratio and Debt Equity Ratio are as follows:-

(i) Debt Equity Ratio = Debt / (Equity Share Capital + Reserves & Surplus)

(ii) Debt Service Coverage Ratio (DSCR) = (Profit before Interest Expenses and Tax + Excepted Credit Loss) / (Interest Expenses + Principal Repayment)

(iii) Interest Service Coverage Ratio = (Profit before Interest Expenses and Tax + Excepted Credit Loss) / Interest expenses"

21 Net worth as per Listing Regulations means net worth as defined in Sub-section (57) of Section 2 of the Companies Act, 2013.

22 Details of Credit Rating:

Non-convertible debentures ("NCDs"): CARE C INC, CRISIL C and India Rating IND C as on July 21, 2020

23 The Previous due date for the payment of interest was on July 20, 2020, which has been paid. The next due date for the payment of interest on NCD and repayment of NCDs is on October 20, 2020.

24 Figures for the previous year have been regrouped, reclassified where necessary, to conform to the classification of the current year.

For and on behalf of the Board
Director
Vijay Kini
Din:06612768

Place: Mumbai
Date: July 21, 2020